न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 08 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गिरधारी पुत्र हमीरा	**बनाम** 1.भावाराम पुत्र भगवानाराम
2. प्रतापा पुत्र हमीरा	2.कोजाराम पुत्र भगवानाराम
3. मांगा पुत्र अणदा जाति मेगवाल	3.घेवाराम पुत्र भगवानाराम जाति
4. लेहरोदेवी पत्नी मांगाराम	मेगवाल निवासी लूणवा जागीर
5. वालाराम पुत्र अणदाराम	4.दरियादेवी पत्नी जयराम जाति
6. सवाराम पुत्र अणदाराम जाति	गुरूडा निवासीयान लूणवा जागीर
मेगवाल निवासी लूणवा जागीर	तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
तहसील गुडामालानी	5.शाखा प्रबन्धक एस बी बी एण्ड
जिला बाड़मेर	जे शाखा गुड़ामालानी
	6.राजस्थान सरकार जरिये
	तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2016 बअनवान भावाराम वगै. बनाम गिरधारी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2018 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नारायण कुमावत रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 19.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का पेश किया कि मौजा लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 442 रकबा 10.06 बीघा व मौजा उकजी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 93.10 बीघा को खेत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। उक्त खेत वादीगण द्वारा पूर्व में खरीदी हुई एवं वर्तमान में कब्जा काश्त की है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 01 से 03 का ग्राम लूणवा जागीर के खेत खसरा संख्या 442 रकबा 10.06 बीघा में 1/4 हिस्सा यानि 02.11 बीघा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है व ग्राम उकजी की ढाणी के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 93.10 बीघा में वादी संख्या 01 से 03 का 15/187 हिस्सा यानि रकबा 07.10 बीघा तथा वादी संख्या 04 रूपोदेवी का उक्त खसरा संख्या 14 रकबा 93.10 बीघा में 3/16 हिस्सा यानि कुल रकबा 17.10 बीघा है तथा शेष प्रतिवादीगण की खातेदारी का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार गुड़ामालानी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव बहामी बंटवाड़े व कब्जा काश्त के अनुसार तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 एवं विभाजन प्रस्ताव दोनों एक–दूसरे के विपरित है। एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 एवं विभाजन प्रस्ताव दोनों एक–दूसरे के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के बाद पत्रावली को रेकर्ड में जमा करवा दिया जबकि उसमें कोई तारीख पेशी नहीं दी गई तथा विभाजन प्रस्ताव आने पर अपनी मनमर्जी से पेशी में लेकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ताक पर रख कर अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को विभाजन प्रस्ताव पर अपनी आपतियां पेश करने देने का अवसर दिये बिना ही एकतरफा रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है उसके द्वारा खसरा संख्या 14 से सडक पर लगती हुई करीब तीन चौथाई भूमि भी उत्तरदाता संख्या 01 से 03 के कब्जे काश्त में दशाई गई है। उक्त आलोच्य विभाजन प्रस्ताव द्वारा सडक से लगती किमती जमीन का संपूर्ण रकबा रेस्पोडेंट/वादी को देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के साथ सरासर धोखा किया है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री का अवलोकन किये बिना ही उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपीलाधीन आलोच्य

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

निर्णय डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धात के आधार पर नहीं किया गया है। अत: अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज व तरमीम भी हो गयी है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाडा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अर्सा 7 दिन पूर्व उतरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 442 रकबा 10.06 बीघा भूमि पर अवैध रूप से काबिज होने का प्रयास किया तब अपीलांटगण द्वारा उनकों रोका तथा पुछा तब रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपने पक्ष होने का कथन किया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.01.2019 को आवेदन प्रस्तुत किया जो उसी रोज दिनांक 03.01.2019 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner

नही दिया गया है। अत: लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मामले में जारी प्राथमिक डिक्री के संबंध में उभयपक्ष को कोई एतराज नहीं है, वे इससे सहमत है क्योंकि भूमि के हिस्सों बाबत कोई विवाद नहीं है। उभयपक्ष अंतिम डिक्री विभाजन पर एकराय नहीं है। उभयपक्ष को समझाईश की गई। प्रस्तुत नक्शा में उन्हें हक–हिस्से अनुसार अपना–अपना कब्जा काश्त इंगित कर प्रस्तावित किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया। प्रस्तुत परिशिष्ठ "क" में इंगित और उल्लेखित विभाजन को स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये लिहाजा लोक अदालत की भावना के तहत प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को मानकर तदनुसार निर्णय/डिक्री किये जाने में कोई आपति नहीं है। चूंकि प्रतापा (अपीलांट सं. 2) ने खसरा संख्या 442 में अपना संपूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया है इसलिए उसमें उसका कोई खातेदारी हक नहीं रह गया है।

अतः अपील अपीलांट उभयपक्ष की सहमति के मद्देनजर आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2018 को आंशिक अपास्त करते हुए परिशिष्ट "क" में दर्शाये/उल्लेखित अनुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गुड़ामालानी उपरोक्त आदेश/निर्णय अनुसार नामांतकरण भर कर बाद तस्दीक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

19/8/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned with CamScanner